उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–1067 / छः–पु0–9–18–13(1) / 2013
लखनऊः दिनांकः 18 अप्रैल,2019

अधिसूचना
(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, जानकीपुरम विस्तार सेक्टर–11, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा संचालित राज्य प्रवेश परीक्षा–2019 के समस्त परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों को, जैसा कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–17 सन् 1962) की धारा–2 के खण्ड (ढ) में परिभाषित है की **आफ लाइन प्रवेश परीक्षा दिनांक–21 अप्रैल, 2019 के लिए** कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या–1067(1) / छः–पु0–9–2019, तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4, खण्ड–''ख'' में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

वीरेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

संख्या–1067(2) / छः–पु0–9–2019, तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक–1016 / सोलह–1–2019–157 / 95 दिनांक 29 मार्च, 2019 के संदर्भ में।
(5) डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, जानकीपुरम विस्तार सेक्टर–11, जानकीपुरम, लखनऊ ।
(6) सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र अधीक्षक (द्वारा– प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1)।
(7) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 / गोपन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(8) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(9) गार्ड बुक।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।